सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

कार्यालय-ज्ञाप

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालयों के प्रबन्धतन्त्र के अनुमोदन के प्रस्ताव विश्वविद्यालय स्तर पर विचाराधीन है। प्रस्तावों के परीक्षण से यह संज्ञान में आया है कि विश्वविद्यालय के परिनियम 12.07 में प्रबन्धतन्त्र के अनुमोदन की प्रक्रिया में कुछ विसंगतियाँ संज्ञान में आयी है। प्रबन्ध तन्त्र के गठन हेतु परिनियम 12.07 में निम्नांकित व्यवस्था है:-

(क) महाविद्यालय का प्राचार्य प्रबन्धतन्त्र का पदेन सदस्य होगा,

(ख) प्रबन्धतन्त्र के पच्चीस प्रतिशत अध्यापक है (जिसमें प्राचार्य भी सम्मिलित है),

(ग) (1) अध्यापक खण्ड (ख) में निदिष्ट प्राचार्य को छोड़कर ज्येष्ठताक्रम में चक्रानुक्रम से एक वर्ष की अवधि के लिए ऐसे सदस्य है,

(घ) खण्ड (ग) के उपबन्धों के अधीन प्रबन्धतन्त्र के कोई दो सदस्य धारा-20 के स्पष्टीकरण के अन्तर्गत एक-दूसरे के नातेदार न होगें।

(ङ) उक्त संविधान मे कुलपति की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा,

(च) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि प्रबन्धतन्त्र के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में कोई व्यक्ति सम्यक रूप से चुना गया है या नहीं अथवा उसका सदस्य या पदधिकारी होने के हकदार है या नहीं या प्रबन्धतन्त्र वैध रूप से गठित है या नही, तो कुलपति का विनिश्चय अन्तिम होगा,

(छ) महाविद्यालय कुलपति द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समक्ष या विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त निरीक्षक पैनल के समक्ष महाविद्याल की आय और व्यय से सम्बन्धित सभी मूल दस्तावेज को ऐसी सोसाइटी/न्यास/बोर्ड मूल निकाय के लेखे सहित जो महाविद्यालय को चला रही हो, रखने को तैयार है।

उक्त व्यवस्था के बिन्दु 'ख' व 'ग' विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कतिपय प्रस्ताव इस प्रकार से प्राप्त है कि उनके बाइलाज मे निर्धारित प्रबन्धतन्त्र के सदस्यों की कुल संख्या में 25% शिक्षक व तृतीय श्रेणी के कर्मचारी प्रतिनिधि अतिरिक्त रूप से जोड़कर प्रबन्धतन्त्र गठन प्रस्तुत किया गया है, जो कि परिनियम खण्ड 12.07 (ख) (ग) के विपरीत है। जबकि बाइलाज में निर्धारित प्रबधतन्त्र के सदस्यों की कुल संख्या में ही 25% शिक्षक (जिसमें प्राचार्य भी सम्मिलित है) एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारी का प्रतिनिधि होना चाहिए।

उदाहरण स्वरूप- यदि किसी महाविद्यालय के बाइलाज में प्रबन्धतन्त्र के सदस्यों (पदाधिकारी/सदस्यों) की कुल संख्या 12 है, तो 12 का 25% यानि कि 3 सदस्य शिक्षक प्रतिनिधि जिसमें प्राचार्य सम्मिलित होगें तथा 1 सदस्य तृतीय श्रेणी कर्मचारियों में से होगा। शेष 9 पदाधिकारियों/सदस्यों का निर्वाचन साधारण सभा द्वारा किया जायेगा एवं निर्वाचित पदाधिकारियों/सदस्यों का पंजीकरण सहायक निबन्धक कार्यालय से कराया जायेगा पदेन पदाधिकारियों की सूची अलग से प्रेषित की जायेगी।

विशेष- प्रायः विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अधिकतर महाविद्यालयों में तृतीय श्रेणी के पद शासन द्वारा स्वीकृत नहीं है। अतः उस महाविद्यालय में प्रबन्धतन्त्र के 8 सदस्यों का चुनाव साधारण सभा द्वारा किया जायेगा, और प्रबन्धतन्त्र इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके महाविद्यालय में शासन द्वारा तृतीय श्रेणी के कोई पद सृजित नहीं है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं के सन्दर्भ में सूचना निर्धारित अभिलेखों की प्रमाणित प्रति के साथ प्रबन्धतन्त्र अनुमोदन हेतु प्रस्ताव विश्वविद्यालय के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

1- संस्था का नवीनीकरण, पत्रांक एवं तिथि सहित

2- संस्था का वाईलाज

3- रजिस्ट्रार चिट्स फण्ड द्वारा प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों/सदस्यों की प्रमाणित सूची (वर्तमान) पत्रांक एवं तिथि सहित

4- साधारण सभा के सदस्यों की सूची

5- निवर्तमान (सदस्यों/पदाधिकारियों की सूची)
6- शपथ पत्र-एक 8 बिन्दु का एवं परिनियम 12.07 के अनुसार।
7- प्रबन्धतंत्र द्वारा चुनाव हेतु दी गयी सूचना
8- प्रबन्धतंत्र गठन के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही
9-चयनित पदाधिकारियों एवं सदस्यों का पहचान पत्र।
10-प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों/सदस्यों की बल्दियत सूची (नाम, पितानाम, पद, पता, फोटो एवं दूरभाष नं० (आधार की प्रमाणित प्रति)
11-मान्यता हेतु 2500/- (दो हजार पाँच सौ मात्र) की शुल्क रसीद की छायाप्रति।
12-प्रबन्धतंत्र के चुनाव के दौरान फोटोग्राफ की प्रति
13-विगत 05 वर्षों का प्रमाणित परीक्षाफलों की स्थिति

कुलसचिव
स०सं०वि०वि०, वाराणसी
21/09/2020

पत्रांक-C.अ./444647/20 दिनांक-21/09/2020

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायवाही हेतु प्रेषित।

1-सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2-आशुलिपिक, वित्ताधिकारी।
3-आशुलिपिक, कुलसचिव।
4-सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता/लेखा)।
5-सिस्टम मैनेजर को इस आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
6-प्रबन्धक/प्राचार्य, समस्त महाविद्यालय।
7-सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव
स०सं०वि०वि०, वाराणसी
21/09/2020